सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 21, गुरूवार, *शाके 1946*-सितम्बर 12, *2024* *Bhadra 21, Thursday , Saka 1946 September 12, 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 12, 2024

जी.एस.आर.31 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के राज्यपाल, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्, राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 9 का संशोधन.-** राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 9 के विद्यमान उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

> "(5) जहां राजस्थान न्यायिक सेवा के किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है वहां, उसकी नियुक्ति की अवधि 5 वर्ष से अधिक की नहीं होगी और इस प्रकार नियुक्त कोई भी अधिकारी 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा। इस प्रकार नियुक्त किये गये सेवानिवृत्त अधिकारी को पेंशन घटाकर अंतिम आहरित वेतन और अन्य भत्ते एवं सुविधाएं संदत्त की जायेंगी जो किसी सेवारत जिला न्यायाधीश (सुपर टाइम स्केल) को अनुज्ञेय हैं:

परंतु यदि राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष ऐसा करना आवश्यक समझे तो, वह इस नियम के अधीन नियुक्त किसी सेवानिवृत अधिकारी की सेवाओं को किसी भी समय, किन्हीं कारणों को निर्दिष्ट किये बिना समाप्त कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति उसकी सेवा की समाप्ति के लिए किसी भी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।"

3. अनुसूची का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची में, शीर्ष **राजस्थान विधानसभा सचिवालय सेवा** के अधीन, क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ 3 में, विद्यमान मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परंतु यदि राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष ऐसा करना आवश्यक समझे तो, वह इन नियमों के अधीन नियुक्त किसी सेवानिवृत अधिकारी की सेवाओं को किसी भी समय, किन्हीं कारणों को निर्दिष्ट किये बिना समाप्त कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति उसकी सेवा की समाप्ति के लिए किसी भी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।"

[सं.एफ.8(1)संसद/2014]
राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेन्द्र जैन,
प्रमुख शासन सचिव।

Parliamentary Affairs Department
NOTIFICATION
Jaipur, September 12, 2024

G.S.R.31 .-In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, the Governor of the State of Rajasthan, after consultation with the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly, hereby please to make the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) (Second Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 9.- The existing sub-rule (5) of rule 9 of the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"(5) Where a retired officer of the Rajasthan Judicial Service is appointed as the Principal Secretary, his term of appointment shall not exceed five years and no officer so appointed shall hold office after attaining the age of 65 years. The retired officer so appointed shall be paid last drawn pay minus pension and other allowances and facilities as are admissible to the serving District Judge (Super time Scale).

Provided that, if the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly considers it necessary to do so, he may terminate the services of a retired officer appointed under this rule at any time without assigning any reasons and such person shall not be entitled to any compensation for termination of his service."

3. **Amendment of Schedule.-** In Schedule appended to the said rules, under the heading Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat Service, in column 3 against serial number 1, after the existing item (c), the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that, if the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly considers it necessary to do so, he may terminate the services of a retired officer appointed under these rules at any time without assigning any reasons and such person shall not be entitled to any compensation for termination of his service."

[No. F.8 (1)Sansad/2014]
By order of the Governor,

Brajendra Jain,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.